और पैटर्न राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं, भारत सरकार योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के माध्यम से उनकी सहायता करती है। हालांकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई विशिष्ट स्कीम/कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है, पर बिहार सहित देश भर में कई केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं जैसे जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) आदि। जे आर वाई और ई ए एस दिहाड़ी रोजगार स्कीमें हैं जबकि आई आर डी पी ग्रामीण गरीबों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराता है। इस संबंध में विशेष रूप से बिहार के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं

5905. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री 13 जून, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 7430 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) उत्तर प्रदेश में इस योजना से जिलावार, श्रेणीवार और वर्षवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास की योजना

5906. **श्री अजीत जोगी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा मध्य भागों के पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये राज्य इस क्षेत्र के सामूहिक विकास के लिए कहां तक सहमत हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर परिषद, जनजातीय उप योजना (टी एस पी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) के अंतर्गत विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों के विकास में राज्यों को सहयोग देती है।

Allocation of funds under 20 point programme

5907. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the funds allocated to each State under 20-point programme during the last two years; and

(b) the funds utilised by each State during the above period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) and (b) The Planning Commission does not allocate funds specifically under the 20-point programme. The State Governments provide for different items of the 20-Point Programme under sectoral heads in their Annual Plans. The Department of Programme Implementation monitors